स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 31 मार्च, 1997

सं० सा० का० नि० प० अ० 42/63/धा० 54/97.—पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1964 को आगे हरियाणा राज्यार्थ संशोधित करने के लिये नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1963 की धारा 54 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने का प्रस्ताव करते हैं। उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो निदेशक, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (सामान्य) हरियाणा संशोधन नियम, 1997, कहे जा सकते हैं।

2. आजपंजाबयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (सामान्य) नियम, 1964, में नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा अर्थात्:—

"3क. पंजीकरण का नवीकरण—(1) प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी 200 रुपए फीस के भुगतान पर पंजीकरण की अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर अपना पंजीकरण नवीकृत करवाएगा।

(2) यदि पंजीकृत व्यवसायी, उपनियम (1) में उपबंधित अवधि के भीतर अपना पंजीकरण नवीकृत करवाने में असफल रहता है, इसलिये उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जायेगा :

परन्तु पंजीकृत व्यवसायी उपनियम (1) में नवीकरण के लिये उपबंधित अवधि की समाप्ति के बाद दो मास के भीतर 100 रुपए अतिरिक्त फीस के भुगतान पर रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में अपना नाम पुनः प्रविष्ट करवा सकता है।"।

वीना इंगलटन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HEALTH DEPARTMENT

The 31st March, 1997

No. G.S.R. P.A. 42/63/S. 54/94.—The following draft rules further to amend the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (General) Rules, 1964, in their appliction to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by section 54 of the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Health Department, Chandigarh from any person in respect of the draft rules before the expiry of the period sospecified :—

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (General) Haryana Amendment Rules, 1997.

2. In the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (General) Rules, 1964, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

"3A. Renewal of registration—(1) Every registered practitioner shall get his registration renewed within one month of the expiry of the period of registration on payment of a fee of Rs. 200/-.

(2) If the registered practitioner fails to get his registration renewed within the period provided in sub-rule (1), his name shall, therefore, stand removed from the Register:

Provided that the registered practitioner may get his name re-entered in the Register by the Registrar on payment of additional fee of Rs. 100/- within two months after the expiry of the period provided for renewal in sub-rule (1)."

VEENA EAGLETON,

Secretary to Govt. Haryana,
Health Department.

सहकारिता विभाग

दिनांक 7 फरवरी, 1997

क्रमांक 2678-सी-6-96/2742.—इस विभाग के पत्र क्रमांक 621-सी-6-96/9167-69 दिनांक 23 अप्रैल, 1996 द्वारा जारी की गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए हरियाणा के राज्यपाल अम्बाला, गुड़गांवा, सिरसा, भिवानी, एवं हिसार जिलों में समकालित सहकारी विकास प्रोजैक्ट के कार्यान्वित किये जाने के लिये स्टाफ प्रकरण कमेटी का गठन करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं ।

कमेटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा	चेयरमैन
2.	अपर रजिस्ट्रार, (नोडल अधिकारी)	सदस्य
3.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक	सदस्य
5.	महा प्रबन्धक, सम्बन्धित जिला समकालित सहकारी विकास प्रौजेक्ट	सदस्य
6.	संयुक्त रजिस्ट्रार (विपणन)	सदस्य सचिव

कमेटी का कार्यकाल अधिसूचना के जारी होने से एक वर्ष के लिये होगा कमेटी। का मुख्यालय चण्डीगढ़ होगा ।

रजनी राजदान,

चण्डीगढ़ दिनांक
7 फरवरी, 1997.

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सहकारिता विभाग ।

COOPERATION DEPARTMENT

The 7th February, 1997

No. 2678-C-6-96/2742.—In partial modification of the notification issued,—*vide* No. 621-C-6-96/9167-69, dated the 23rd April, 1996 the Governor of Haryana is pleased to constitute Staff Selection Committee for the implementation of Integrated Co-operative Development Project in the Districts of Ambala, Gurgaon, Sirsa, Bhiwani and Hisar.

2. The following will be the members of this Committee :—

(i)	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	.. Chairman
(ii)	Additional Registrar (Nodal Officer) Co-operative Societies, Haryana	.. Member
(iii)	A Representative of National Co-operative Development Corporation	.. Member
(iv)	Managing Director of the concerned Central Co-operative Bank	.. Member
(v)	General Manager, ICDP of concerned District	.. Member
(vi)	Joint Registrar (Marketing).	.. Member Secretary

3. The tenure of the committee shall be for a period of one year from the issue of the Notification.

4. The Head quarter of the Committee shall be at Chandigarh.

RAJNI RAJDAN,

Chandigarh, dated
the 7th February, 1997.

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Cooperation Department.